Proceeding of Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal submitted by Sh. Raman Kapur, Prop. M/s Jai Shankar Stone Crusher, VPO Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 1,26,380 MTPA from Khasra Nos. 6, 7, 23 and 26 falling in Mauza/Mohal Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 05-61-01 Hectares (Private Land, Hill Slope), on 18/03/2026 at 11:30 AM at Community Hall of Gram Panchayat Chandpur, Tehsil Haroli Distt. Una (HP)

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Raman Kapur, Prop. M/s Jai Shankar Stone Crusher, VPO Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 1,26,380 MTPA from Khasra Nos. 6, 7, 23 and 26 falling in Mauza/Mohal Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 05-61-01 Hectares (Private Land, Hill Slope), on 18/03/2026 at 11:30 AM at Community Hall of Gram Panchayat Chandpur, Tehsil Haroli Distt. Una (HP). This public Hearing was organized by HP State Pollution Control Board under the Chairmanship of Additional Deputy Commissioner Una cum Chairman of Environmental Public Hearing, according to prescribed process of public Hearing.

In the Public Hearing, Mining Officer Una, Officers/Officials of various Departments of local Administration, Representatives of local Gram Panchayats and residents of local & nearby villages were also present. The attendance sheet of participants in the public hearing is enclosed as **Annexure-1.**

First of all, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una, welcomed the Chairman, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of Local Panchayats, Project Proponent & their consultant and the Public. Thereafter he gave detailed information to the people present regarding organization of the Environmental Public Hearing and started the process of Environmental Public Hearing with the permission of ADC Una cum Chairman of the Environment Public Hearing.

Thereafter, the Regional Officer, HPSPCB Una requested the Consultant of the Project Proponent from M/s Shivalik Solid Waste Management limited, SCO 20-21, 1st floor, Near Hotel Dolphin, Baltanz, Zirakpur, Punjab to provide the detailed information of their proposed project for the extraction/collection of sand, stone & bajri to the public. After the detailed description of various aspects of proposed mining lease project given by the consultant to the public, the Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una asked the people present in the Environment Public Hearing to express their views, comments, suggestion and objections on the proposed mining project, without any fear and pressure from any corner.

Videography of the Public hearing was also conducted. Accordingly, the proceeding of the Environmental Public Hearing was recorded and the same is reproduced hereunder:

S. No.	Name and Address	Issues raised/Suggestions submitted	Reply of Issues raised/ Suggestions submitted
1.	Sh. Veer Singh, Village Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	He objected to the proposed stone mining project, citing serious risks to the environment, water resources, agriculture, wildlife, and public health. Concern was raised over its close proximity to Baba Gosain Ji temple and its impact on	

		religious sentiments. The speaker alleged irregularities in past mining activities, including excavation up to the groundwater level, failure to fulfil plantation commitments under the 2012 EIA report, and large-scale tree cutting. The validity of the Panchayat NOC was also questioned, with a request for an impartial investigation. It was emphasized that the area has already experienced excessive mining; therefore, an independent audit should be conducted before granting any new lease. Concerns were also raised about poor road infrastructure, which could increase accidents and dust pollution due to heavy vehicle movement. He further added that environmentally, the site lies near a sensitive watershed and groundwater recharge zone, posing risks to water sources. The project is expected to increase air and noise pollution, affecting residents' health, especially children and the elderly, and reduce agricultural productivity due to dust deposition. It may also disturb local wildlife habitats. The speaker requested a detailed investigation and urged authorities to prioritize public interest, environmental protection, and community health, and not to grant approval for the project.	
2.	Sh. Dalvinder Singh, Village Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	He stated that ongoing mining activities have significantly disturbed nearby wildlife habitats. As a result, wild animals are increasingly entering residential areas and agricultural fields, causing damage to crops and posing a risk to local residents. The speaker stated that the Panchayat NOC appears to have been issued without the knowledge of the ward members. He expressed concern that the project may have been added to the proposal after the quorum was completed. Therefore, he	The consultant representing the project proponent stated that all mining operations will be conducted strictly in accordance with the approved mining plan. She also stated that the project has a valid Panchayat NOC.

		requested that this matter be thoroughly investigated.	
3.	Sh. Suresh Chand Sharma, Village Dulehar, GP Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	He stated that all individuals attending the public hearing should be provided with the executive summary of the project to ensure transparency and awareness of its details. He alleged that mining excavation frequently exceeds the permitted limits and goes deeper than allowed. He further mentioned that complaints made to the Mining and Forest Departments often go unaddressed. He also pointed out that vehicles involved in mining and transportation often lack proper registration number plates, indicating regulatory violations. According to him, such projects are adversely affecting the health of local residents. The speaker expressed skepticism regarding the project proponent's claims of avoiding tree cutting and undertaking plantation activities, stating that mining without tree removal is impractical and that no plantation efforts have been observed in the area so far. He added that crusher units operating within forest areas have disturbed wildlife habitats, resulting in wild animals frequently entering residential areas. In conclusion, the speaker clearly expressed opposition to the proposed project.	The Hon'ble Chairman directed the project consultant to distribute at least one copy of the executive summary to each row of attendees present at the public hearing. In compliance, the project consultant provided copies to the public and reiterated that the same executive summary had already been read aloud during the proceedings. She further stated that she remains available to address any queries related to the project. She also stated that depth of the mining will be as per approved mining plan.
4.	Sh. Ram Kumar Makhan, Village Dulehar, GP Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	The speaker stated that the NOC issued by the Gram Panchayat for the project is questionable. He pointed out that when the agenda notice was displayed on the notice board, the project was not mentioned. He alleged that the project was added at a later stage, after the quorum of the Gram Sabha had already been completed and the attendees had signed the resolution. He further clarified that at the time of signing the Gram Sabha resolution, the project was not part of the proposal. Therefore, he requested that the	The consultant stated that the project proponent has obtained valid Panchayat NOC for this project. She also stated that the mining operations will be carried out through a combination of manual and semi-mechanized methods. She further clarified that the use of excavators may be undertaken after obtaining permission from the Mining Department. She explained that the "4×4 pit mining technique" involves carrying

		authenticity and validity of the Gram Panchayat NOC be thoroughly verified. Additionally, the speaker sought clarification on whether the proposed mining will be carried out manually or through mechanical methods. He also requested an explanation of the "4×4 pit mining technique" mentioned by the consultant for use in the project.	out mining on hill slopes in small segments of 4×4 meters. This method ensures that excavation is done in a controlled, step-like manner rather than creating steep vertical cuts, thereby improving slope stability. The Hon'ble Chairman also directed the representative of the Mining Department to clarify the matter. In response, the department representative confirmed that excavators can be used only after obtaining specific approval from the Mining Department. He further stated that the 4×4 pit mining method is a scientifically recognized and sustainable approach, as it reduces the risk of steep slope formation and potential hill collapse.
5.	Sh. Vishal, Local resident, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	He stated that the project proponent has actively supported local residents in various community activities. They are also readily available over the phone to assist with matters such as organizing local fairs and removing or disposing of dead animals from the area.	
6.	Sh. Balwant Singh, Village Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	He stated that the majority of the people present at the hearing are opposed to the project and questioned whether they can be assured that the project will ultimately be rejected. He reiterated that the Panchayat NOC was issued without informing the members and local residents. While many provisions and safeguards exist on paper, he noted that they are often not implemented in practice. He further emphasized that mining and crusher projects of this kind contribute significantly to air pollution and concluded by stating that the community strongly opposes this project.	The project proponent stated that Approx. over 3 to 4 thousand trees have already been planted in the area to support afforestation and environmental conservation. The Hon'ble Chairman clarified that the authority to approve or reject the project does not lie with him. He emphasized that the sole purpose of the public hearing is to record all objections, suggestions, and comments from the participants, which will then be forwarded to the competent authority for further scrutiny and consideration.
7.	Sh. Hans Raj Sharma, Village Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	He stated that his land is located near the existing crusher plant associated with this mining project. According to him, the crusher has not caused any harm, and mining activities are confined to the	

		designated lease area. He further stated that water is sprinkled 4–5 times a day for dust suppression. He added that the project proponent actively supports the community through various initiatives. He expressed the view that the project should not be opposed, as it proposes scientific mining, future plantation, and provides benefits to the local residents.	
8.	Sh. Manoj Kumar, Village Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	He stated that he owns 20 Kanal of land near the existing crusher site and has never experienced any issues such as tree cutting or illegal mining/excavation on his property. He noted that water sprinkling is used regularly for dust suppression and that a tin boundary has been provided around the crusher site. He also highlighted that significant plantation has been carried out. He praised the conduct of the project proponent as being very good and helpful. He concluded that if the mining is carried out in a scientific and responsible manner, he has no objection to the project.	
9.	Sh. Ravinder Kumar, Village Palakwah, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	He stated that he has been running a welding shop near the crusher site for the past 10 years and has not faced any major issues, such as water shortages or other problems, in the area.	
10	Sh. Ashok Kumar, Village Palakwah, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	He stated that initially, they believed such projects would contribute to the development of the area. However, they are now observing harmful effects. He alleged that the project proponent has not carried out sufficient plantation or should provide details on how many of the planted trees have survived. He further stated that mining often exceeds the permissible depth, and transport vehicles cause dust pollution and increase the risk of accidents for local residents. According to him, the operation of these crusher units has resulted in significant dust pollution in the area.	The project proponent stated that Approx. over 3 to 4 thousand trees have already been planted in the area to support afforestation and environmental conservation and one can see or verify on site.

11	Smt. Kamlesh Kumari, Ex Pradhan. Gram Panchayat Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	She stated that she served as the Pradhan of Gram Panchayat Chandpur for 10 years, including at the time when the Panchayat NOC for this project was issued. Although she personally did not wish to grant the NOC, local residents and Panchayat members requested it, and it was consequently issued five years after the proposal was received. She also noted that the project proponent has actively supported the Gram Panchayat through various community initiatives, including assistance in constructing two temples.	
12	Sh. Mohan Singh, Village Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)	He stated that for approximately 17 years, these crushers have supported local residents and contributed to community work in the area. However, since last 3 month he has observed some environment degradation in the village area.	

The details of the complaint/objection/representations letters received during the proceedings of the public hearing are as follows:

1. Sh. Balbinder Singh, VPO Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)–. Copy of letter is attached as **Annexure-2**.
2. Sh. Ranjeet Singh, village Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Copy of letter signed by multiple residents is attached as **Annexure-3**.
3. Sh. Ronit Rana, VPO Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Copy of letter is attached as **Annexure-4**.
4. Sh. Rajender Singh, and others village chandpur and Thakara, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Copy of letter signed by multiple residents is attached as **Annexure-5**.
5. Sh. Veer Singh, village Chandpur, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)– Copy of letter Signed by multiple residents is attached as **Annexure-6**.
6. Sh. Rohit katwal, copy of objections received through e-mail is attached as **Annexure-7**.

In the end, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this environmental public hearing.

Mahendra Pal Gurjar
Additional Deputy Commissioner
Una, Distt. Una (HP)

श्री रमन कपूर, प्रो. मेसर्स जय शंकर स्टोन क्रशर, गांव व डाकघर चांदपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र), के द्वारा खसरा संख्या 6, 7, 23 और 26 मौजा व मोहाल ठाकरान, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र), कुल खनन क्षेत्र 05-61-01 हेक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 1,26,380 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यवाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 18.03.2026 को सुबह 11:30 बजे, श्री रमन कपूर, प्रो. मेसर्स जय शंकर स्टोन क्रशर, गांव व डाकघर चांदपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र), के द्वारा खसरा संख्या 6, 7, 23 और 26 मौजा व मोहाल ठाकरान, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र), कुल खनन क्षेत्र 05-61-01 हेक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 1,26,380 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत चांदपुर के सामुदायिक भवन, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या S.O. 1533 (E) दिनांक 14/09/2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय अतिरिक्त उपायुक्त ऊना एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान, खनन अधिकारी ऊना, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवों के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट **अनुबंध-1 (Annexure-1)** के रूप में संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होंने पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध में जनसमूह को विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जनसुनवाई की कार्यवाही आरम्भ की गई।

तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मेसर्स शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड,एससीओ 20-21, प्रथम तल,होटल डॉल्फिन के निकट, बलटांज, जीरकपुर, पंजाब, पंजाब) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त, प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के विवरण की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह को दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी ऊना ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने सुझाव, विचार, टिप्पणियाँ एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के व्यक्त करने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए प्रश्नों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रमांक	नाम व पता	मामले / सुझाव	उत्तर
1.	श्री वीर सिंह, ग्राम चांदपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र)	इनके द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना का विरोध किया और पर्यावरण, जल संसाधन, कृषि, वन्य जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर जोखिमों का हवाला दिया। उन्होंने बाबा गोसाईं जी मंदिर के निकट होने और धार्मिक	

		भावनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता व्यक्त की। इन्होने पिछली खनन गतिविधियों में अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिसमें भूजल स्तर तक खुदाई, 2012 की EIA रिपोर्ट के तहत वृक्षारोपण प्रतिबद्धताओं का पालन न करना, और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शामिल हैं। पंचायत NOC की वैधता पर भी सवाल उठाया गया और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि क्षेत्र पहले ही अत्यधिक खनन का सामना कर चुका है; इसलिए कोई नया पट्टा जारी करने से पहले स्वतंत्र ऑडिट कराना आवश्यक है। खराब सड़क बुनियादी ढांचे को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई, क्योंकि भारी वाहनों की आवाजाही दुर्घटनाओं और धूल प्रदूषण को बढ़ा सकती है। पर्यावरणीय दृष्टि से, यह स्थल संवेदनशील जलस्रोत और भूजल पुनर्भरण क्षेत्र के निकट स्थित है, जो जल स्रोतों के लिए जोखिम उत्पन्न करता है। परियोजना के चलते वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ने की संभावना है, जिससे निवासियों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, और धूल के जमाव के कारण कृषि उत्पादकता कम हो सकती है। स्थानीय वन्यजीवों के आवास भी प्रभावित हो सकते हैं। वक्ता ने विस्तृत जांच की मांग की और अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे सार्वजनिक हित, पर्यावरण संरक्षण और समुदाय के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें तथा परियोजना को मंजूरी न दें।	
2.	श्री दलविंदर सिंह, ग्राम चांदपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र)	उन्होंने कहा कि चल रही खनन गतिविधियों के कारण आस-पास के वन्यजीवों के आवास गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप जंगली जानवर बढ़ते हुए आवासीय क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है और स्थानीय निवासियों के लिए जोखिम उत्पन्न हो रहा है। वक्ता ने बताया कि पंचायत NOC, वार्ड सदस्यों की जानकारी के बिना जारी की गई प्रतीत होती है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि	परियोजना प्रस्तावक का प्रतिनिधित्व कर रही सलाहकार ने बताया कि सभी खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार सख्ती से किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना के पास वैध पंचायत NOC मौजूद है।

		परियोजना को प्रस्ताव में सर्वसमिति (quorum) पूरी होने के बाद जोड़ा गया हो सकता है। अतः उन्होंने इस मामले की पूरी तरह से जांच कराने का अनुरोध किया।	
3.	श्री सुरेश चंद शर्मा, ग्राम दूलेहड़, ग्राम पंचायत चांदपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र)	उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों को परियोजना का कार्यकारी सारांश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सभी को परियोजना के विवरण की जानकारी हो। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन खुदाई अक्सर अनुमति प्राप्त सीमा से अधिक होती है और अधिक गहराई तक जाती है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि खनन और वन विभाग में की गई शिकायतों पर अक्सर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि खनन और परिवहन में लगे वाहन अक्सर उचित पंजीकरण संख्या प्लेट के बिना चलते हैं, जो नियमों का उल्लंघन दर्शाता है। उनके अनुसार, इस प्रकार की परियोजनाएं स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। उन्होंने परियोजना प्रस्तावक के पेड़ काटने से बचने और वृक्षारोपण गतिविधियों को करने के दावों पर संदेह व्यक्त किया, यह कहते हुए कि बिना पेड़ हटाए खनन करना व्यावहारिक नहीं है और अब तक क्षेत्र में कोई वृक्षारोपण कार्य नहीं देखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वन क्षेत्रों में संचालित क्रशर यूनिटों ने वन्यजीवों के आवासों को प्रभावित किया है, जिससे जंगली जानवर अक्सर आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। अंत में, उन्होंने प्रस्तावित परियोजना का स्पष्ट रूप से विरोध व्यक्त किया।	
4.	श्री राम कुमार मखान, ग्राम डुलेहर, ग्राम पंचायत चांदपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र)	उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जारी NOC संदिग्ध है। उन्होंने यह इंगित किया कि जब एजेंडा नोटिस नोटिस बोर्ड पर लगाया गया था, तब परियोजना का उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना को बाद में जोड़ा गया, जब ग्राम सभा की सर्वसमिति (quorum) पहले ही पूरी हो चुकी थी और उपस्थित लोगों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि ग्राम सभा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते समय यह परियोजना	सलाहकार ने बताया कि परियोजना प्रस्तावक ने इस परियोजना के लिए वैध पंचायत NOC प्राप्त कर ली है। उन्होंने यह भी कहा कि खनन कार्य मैन्युअल और अर्ध-यांत्रिक तरीकों के संयोजन से किया जाएगा। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि खुदाई के लिए एक्सकैवेटर का उपयोग केवल खनन विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।

		प्रस्ताव का हिस्सा नहीं थी। इसलिए, उन्होंने अनुरोध किया कि ग्राम पंचायत NOC की प्रामाणिकता और वैधता की पूरी तरह से जांच की जाए। अतिरिक्त रूप से, उन्होंने यह भी स्पष्टता मांगी कि प्रस्तावित खनन कार्य मैन्युअल रूप से किया जाएगा या यांत्रिक तरीकों से। उन्होंने परियोजना में उपयोग के लिए सलाहकार द्वारा उल्लिखित "4×4 पिट माइनिंग तकनीक" की व्याख्या भी मांग की।	सलाहकार ने समझाया कि "4×4 पिट माइनिंग तकनीक" में पहाड़ी ढलानों पर 4×4 मीटर के छोटे खंडों में खनन किया जाता है। यह विधि यह सुनिश्चित करती है कि खुदाई नियंत्रित, चरणबद्ध तरीके से की जाए, न कि खड़ी लंबवत कटिंग के रूप में, जिससे ढलान की स्थिरता में सुधार होता है। माननीय अध्यक्ष ने भी खनन विभाग के प्रतिनिधि को इस मामले की स्पष्टता देने का निर्देश दिया। इसके उत्तर में, विभाग के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि एक्सकैवेटर का उपयोग केवल खनन विभाग से विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 4×4 पिट माइनिंग विधि वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त और सतत दृष्टिकोण है, क्योंकि यह खड़ी ढलान बनने और संभावित पहाड़ी गिरावट के जोखिम को कम करती है।
5.	श्री विशाल, स्थानीय निवासी, तहसील हरोली, जिला ऊना ।(.प्र.हि)	उन्होंने कहा कि परियोजना प्रस्तावक ने विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों में स्थानीय निवासियों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है। वे स्थानीय मेलों के आयोजन या क्षेत्र से मृत जानवरों को हटाने/निपटाने जैसे मामलों में सहायता के लिए फोन पर भी आसानी से उपलब्ध रहते हैं।	
6.	श्री बलवंत सिंह, ग्राम चांदपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र)	उन्होंने कहा कि सुनवाई में उपस्थित अधिकांश लोग इस परियोजना के विरोध में हैं और यह प्रश्न उठाया कि क्या उन्हें यह आश्वासन दिया जा सकता है कि परियोजना अंततः अस्वीकृत कर दी जाएगी। उन्होंने दोहराया कि पंचायत NCC सदस्यों और स्थानीय निवासियों को सूचित किए बिना जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि- हालाँकि कई प्रावधान और सुरक्षा उपाय कागज पर मौजूद हैं, परन्तु उन्हें अक्सर व्यवहार में लागू नहीं किया जाता। उन्होंने आगे यह भी ज़ोर दिया कि इस प्रकार की खनन और क्रशर परियोजनाएं वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और अंत में कहा कि समुदाय इस परियोजना का जोरदार विरोध करता है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि वनों की पुनर्रोपण और पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में क्षेत्र में पहले ही लगभग 3-4 हजार से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि परियोजना को मंजूरी देने या अस्वीकृत करने का अधिकार उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुनवाई का उद्देश्य सभी आपत्तियों, सुझावों और टिप्पणियों को रिकॉर्ड करना है, जिन्हें आगे योग्य प्राधिकारी को जांच और विचार के लिए भेजा जाएगा।
7.	श्री हंस राज शर्मा, ग्राम चांदपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र)	उन्होंने कहा कि उनकी भूमि इस खनन परियोजना से संबंधित मौजूदा क्रशर प्लांट के पास स्थित है। उनके अनुसार, क्रशर ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और खनन गतिविधियाँ केवल निर्दिष्ट पट्टे क्षेत्र तक सीमित	

		हैं। उन्होंने आगे कहा कि धूल नियंत्रण के लिए दिन में 4–5 बार पानी छिड़का जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना प्रस्तावक विभिन्न पहलों के माध्यम से समुदाय का सक्रिय सहयोग है। उनका दृष्टिकोण है कि परियोजना का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह वैज्ञानिक खनन, भविष्य में वृक्षारोपण और स्थानीय निवासियों को लाभ प्रदान करती है।	
8.	श्री मनोज कुमार, ग्राम चांदपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र)	उन्होंने कहा कि उनकी 20 कनाल भूमि मौजूदा क्रशर साइट के पास स्थित है और उन्हें अपनी संपत्ति पर पेड़ काटने या अवैध खनन/खुदाई जैसी कोई समस्या कभी नहीं हुई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि धूल नियंत्रण के लिए नियमित रूप से पानी छिड़का जाता है और क्रशर साइट के चारों ओर टिन शीट की बॉउंड्री बनाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि साइट पर पर्याप्त वृक्षारोपण किया गया है। उन्होंने परियोजना प्रस्तावक के व्यवहार व सामाजिक कार्यों में योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यदि खनन वैज्ञानिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाता है, तो उन्हें इस परियोजना पर कोई आपत्ति नहीं है।	
9.	श्री रविंदर कुमार, ग्राम पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र)	उन्होंने कहा कि वे पिछले 10 वर्षों से क्रशर साइट के पास एक वेल्डिंग की दुकान चला रहे हैं और कभी क्षेत्र में पानी की कमी या अन्य किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है।	
10	श्री अशोक कुमार, ग्राम पालकवाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र)	उन्होंने कहा कि प्रारंभ में, वे मानते थे कि इस प्रकार की परियोजनाएँ क्षेत्र के विकास में योगदान देंगी। हालाँकि, अब वे इसके हानिकारक प्रभाव देख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परियोजना प्रस्तावक ने पर्याप्त वृक्षारोपण नहीं किया है या उन्हें यह विवरण प्रदान करना चाहिए कि लगाए गए कितने पेड़ जीवित हैं। उन्होंने आगे कहा कि खनन अक्सर अनुमत गहराई से अधिक होता है और परिवहन वाहन धूल प्रदूषण पैदा करते हैं तथा स्थानीय निवासियों के लिए दुर्घटना का जोखिम बढ़ाते हैं। उनके अनुसार, इन क्रशर यूनिटों के संचालन के कारण क्षेत्र में गंभीर धूल प्रदूषण हुआ है।	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि वनों की पुनर्रोपण और पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में क्षेत्र में पहले ही लगभग 3-4 हजार से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं और इसे वह मोके पर जा कर देख सकते है।
11	श्रीमती कमलेश कुमारी, पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत चांदपुर,	उन्होंने कहा कि उन्होंने ग्राम पंचायत चांदपुर की प्रधान के रूप में 10 वर्षों तक सेवा दी, जिसमें उस समय भी शामिल था जब इस परियोजना के लिए पंचायत NOC जारी किया	

	तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र)	गया था। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से वह NOC देने की इच्छा नहीं रखती थीं, स्थानीय निवासियों और पंचायत सदस्यों ने इसका अनुरोध किया, और प्रस्ताव प्राप्त होने के पाँच वर्ष बाद यह जारी किया गया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि परियोजना प्रस्तावक ने विभिन्न सामुदायिक पहलों के माध्यम से ग्राम पंच।यत का सक्रिय सहयोग किया है, जिसमें दो मंदिरों के निर्माण में सहायता भी शामिल है।	
12	श्री मोहन सिंह, ग्राम चांदपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र)	उन्होंने बताया कि लगभग 17 वर्षों से ये क्रशर स्थानीय निवासियों का समर्थन करते आ रहे हैं और क्षेत्र में सामुदायिक कार्यों में योगदान देते रहे हैं। हालांकि, पिछले 3 महीनों से उन्होंने गाँव के क्षेत्र में कुछ पर्यावरणीय गिरावट देखी है।	

जनसुनवाई की कार्यवाही के दौरान प्राप्त हुए शिकायत / आपत्ति पत्रों का विवरण निम्नलिखित हैं:

1. बलबिंदर सिंह, वीपीओ चांदपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) के द्वारा –पत्र की प्रति, **अनुबंध-2 (Annexure-2)** के रूप में संलग्न है।
2. श्री रंजीत सिंह, वीपीओ चांदपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) – पत्र की प्रति में ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी हैं, - पत्र की प्रति **अनुबंध-3 (Annexure-3)** के रूप में संलग्न है।
3. श्री रोनीत राणा, ग्राम च।दपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) के द्वारा- पत्र की प्रति **अनुबंध-4 (Annexure-4)** के रूप में संलग्न है।
4. श्री राजेंद्र सिंह और अन्य, ग्राम चांदपुर एवं ठकारा, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) – पत्र की प्रति में ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी हैं, पत्र की प्रति **अनुबंध-5 (Annexure-5)** के रूप में संलग्न है।
5. श्री वीर सिंह, ग्राम चांदपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) – पत्र की प्रति में ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी हैं , पत्र की प्रति **अनुबंध-6 (Annexure-6)** के रूप में संलग्न है।
6. श्री रोहित कटवाल, जिला ऊना (हि.प्र.) – ई-मेल के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों की प्रति– पत्र की प्रति **अनुबंध-7 (Annexure-7)** के रूप में संलग्न है।

अंत में श्री प्रवीन कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई में भाग लेने पर धन्यवाद किया।

महेंद्र पाल गुर्जर
अतिरिक्त उपायुक्त
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)